रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231920 CG-DL-E-16122021-231920

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] No. 700] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2021/अग्रहायण 25, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021/AGRAHAYANA 25, 1943

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021

सं. 1/2021- माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति

सा.का.नि. 859(अ).— माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 5, उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,एतद्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2018 की सा.का.नि. 1116 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 14 नवंबर, 2018 की अधिसूचना सं 1/2018 (माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति) में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, शीर्षक तिमलनाडु के तहत, कॉलम (3) में क्रम सं. 99 के सामने "तिमलनाडु गन्ना उपकर (वैधता) अधिनियम, 1963" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए "तिमलनाडु चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम, 1949 (धारा 14)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

> [फा. सं. एस.31011/03/2014-एसओ (एसटी) भाग 5] महेन्द्र नाथ, अवर सचिव

नोट :- दिनांक 14 नवंबर, 2018 की मूल अधिसूचना सं. 1/2018 (माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड (3), उप-खंड (i) सं. 817 में दिनांक 15 नवंबर, 2018/कार्तिक 24, 1940 को प्रकाशित हुई थी।

7336 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2021

No. 1/2021-Goods and Services Tax Compensation

G.S.R. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. 1/2018 (Goods and Service Tax Compensation) dated 14th November, 2018 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1116 (E) dated 15th November, 2018, namely:-

In the said notification in the Table, under the heading Tamil Nadu, against serial number 99 in column (3), for the words, brackets and figures "Tamil Nadu Sugar Cane Cess (Validation) Act, 1963" the words, figures and brackets "Tamil Nadu Sugar Factories Control Act, 1949 (Section 14)" shall be substituted.

[F. No. S. 31011/03/2014-SO (ST) Part5] MAHENDRA NATH, Under Secy.

Note :- The Principle Notification No. 1/2018(Goods and Service Tax Compensation),dated 14th November, 2018 published in the Gazette of India [Extraordinary, part-II-Section (3) sub-section (i), No. 817] dated November 15, 2018/ Kartika 24, 1940.